फाइल नं0-71-1001(099)/14/2021

25/2022/I/140673/2022

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्साक शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0ए लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 16 फरवरी, 2022

विषय :-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/855, दिनॉक 28.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत मानक मद-01-वेतन में रू0 58.18 लाख की बचत को निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 11.00 लाख, मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 41.18 लाख तथा मानक मद-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू0 6.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 58.18 लाख (रू0 अट्ठावन लाख अट्ठारह हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा।
6- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।